ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत नेरी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2022 से 30.09.2022
2	श्री मोहिंदर सिंह	07.10.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय मन्हाश	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नरेंदर कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(4)	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में अन्तर पाया जाना	0.62
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.55
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.01
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
5	8.1	खनन सामग्री से नियमानुसार रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित न करना	1.74
6	8.2	संविदाकार /आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.41
7	9.1	मनरेगा शीर्ष से सामग्री हेतु नियमों के विरुद्ध अधिक व गलत भुगतान करना	0.81
8	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान करना	0.08
9	9.3	मनरेगा शीर्ष से अधिक व गलत भुगतान करना	0.04
10	9.4	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	12.88
11	9.5	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.26
12	9.6	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करने बारे।	5.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :- ग्राम पंचायत नेरी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	5	अनिर्णीत।	
2	7(i)(ii)	अनिर्णीत।	
3	9	अनिर्णीत।	
4	10(i)(ii)	अनिर्णीत।	
5	11	अनिर्णीत।	
6	14	अनिर्णीत।	
7	15	अनिर्णीत।	
8	16 (1, 2)	अनिर्णीत।	
9	17	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
10	18	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

अतः शेष अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.07.2024 से 16.07.2024 तक ग्राम पंचायत नेरी के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	02/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203/2024 दिनांक 12/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत नेरी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, हमीरपुर, DDO NO - KAA 188676 दिनांक 18.07.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत नेरी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनांक 06.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान छः (6) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत (Offline), अनुदान (प्लानिंग)(Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), 14वें वित्तायोग (Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	187900.00	92982.00	280882.00	53101.00	227781.00
2023-24	227781.00	324958.00	552739.00	115658.00	**437081.00**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3427244.30	7430134.40	10857378.70	7590577.40	3266801.30
2023-24	3266801.30	6871824.00	10138625.30	8083767.00	**2054858.30**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3615144.30	7523116.40	11138260.70	7643678.40	3494582.30
2023-24	3494582.30	7196782.00	10691364.30	8199425.00	**2491939.30**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता नाम	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	KCCB HAMIRPUR	20005057725	436239.6
2	अनुदान (प्लानिंग)	KCCB HAMIRPUR	20005024620	93875
3	14वां वित्तायोग	HDFC HAMIRPUR	50100160543018	0
4	15वां वित्तायोग	ICICI HAMIRPUR	50201000682	1898979
		योग		**2429093.60**
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)				841.40
योग (1+2)				**2429935.00**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की रोकड़ बही/ वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	437081.00
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की रोकड़ बही/ वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	2054858.30
3)	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	2491939.30
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष	2429093.60
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	841.40
6)	योग (4+5)	2429935.00
7)	**अन्तर (3-6)**	**62004.30**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹0.62 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को 14th वित्तायोग व 15th वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि ₹62004.30 का अन्तर निम्न विवरणानुसार बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। अंकेक्षण में इससे सम्बन्धित वस्तुस्थिति स्पष्ट न करने के कारण इस राशि के दुर्विनियोजन/दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष का योग**	**अन्तर (4-3) (₹)**
1	14th FC	25746.30	0.00	25746.30
2	15th FC	1935237.00	1898979.00	36258.00
कुल अन्तर				**62004.30**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2024 दिनांक 06/07/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अन्तर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि **₹62004.30** अन्तर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा" ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

(5) 14वें वित्तायोग शीर्ष से स्वंः स्रोत शीर्ष में राशि ₹205138/- के ब्याज को हस्तांतरित करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 42 के अनुसार पंचायत को अधिकार नहीं है कि कोई भी अनुदान विशेष कार्यों के लिये स्वीकृत निधियों का किसी भी परिस्थिति में उस प्राधिकारी, जिसने अनुदान व निधियां मंजूर की हैं, के अनुमोदन के बिना किसी अन्य स्कीम के लिए पुनर्विनियोजन किया जा सकता है।

अधियाचना संख्या 190/2024 दिनांक 06.07.2024 द्वारा सचिव को 14 वें शीर्ष से स्वः स्रोत शीर्ष (क) में राशि ₹205138 के हस्तांतरण बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे अवगत करवाया गया तथा हस्तांतरित करने का कारण और हस्तांतरण आदेश पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 05 दिनांक 15.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित हस्तांतरित राशि **₹**205138/- के बारे में कोई भी लिखित सूचना नहीं है इसे मौखिक रूप में ही उच्च-अधिकारियों से प्राप्त करके खाते को बंद करने के लिए अमल में लाया गया था" ।

अतः किये गए हस्तांतरण को समय-2 जारी निर्देशानुसार, नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सत्यापना व तथ्यसहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए और अंकेक्षण को भी शीघ्र-अतिशीघ्र अवगत करवाया जाए।

(6) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत पारदर्शी लेखांकन प्रक्रिया न अपनाकर हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करना चाहती है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनांक 06.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 03 दिनांक 15.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनाँक 06.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 03 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० प० रा०(वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अत: कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹20.55 लाख का उपयोग न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनांक 06.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹2054858.30** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनाँक 06.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 03 दिनाँक 15.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनाँक 06.07.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनाँक 15.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनाँक 06.07.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 03 दिनाँक 15.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अतः अंकेक्षण अवधि हेतु उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनांक 06.07.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **(परिशिष्ट "ख")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि ₹600/- वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	0	748	50	37400	37400	37250	150
2023-24	150	757	50	37850	38000	37400	**600**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः गृहकर की उक्त राशि की वसूली किन कारणों से परादेय थी, स्पष्ट करते हुये इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त करने उपरान्त हि० प्र० विवाह

पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹6375**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "ग")** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 202/2024 दिनांक 12.07.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि" अंकेक्षण अवधि दौरान प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि **₹6375**/- को राजकीय कोष के शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹1.74 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 09/22 व 06/23 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹173639.40** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194/2024 दिनांक 11/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि" उक्त पत्र में वर्णित राशि **₹173639.40** रॉयल्टी की कटौती बिलों में से नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी " ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अत: राशि **₹173639.40** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.41 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **(परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि ₹2051999/- (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि

₹41039.98/- की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195/2024 दिनांक 11/07/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से ₹2051999/-की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती ₹41039.98 GST, TDS की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो/व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत सामग्री हेतु नियमों के विरुद्ध ₹0.81 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए सलंग्न **(परिशिष्ट "च")** द्वारा राशि ₹80925.33 का अधिक भुगतान किया गया।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान (₹)
1	C/o Plantation in land of	मस्ट्रोल संख्या (1356,1437) (4452+8268)	Plants	27600	8480	19120.00

	Raksha devi w/o yash pal, vill khagal	=12720 x 2/3 =8480				
2	c/o Plantation in land of Rattan chand vill khagal	मस्ट्रोल संख्या (1355,1436) (2968+5512) =8480x 2/3 =5653	Plants	22070	5653	16416.00
3	c/o retaining wall near house of kartar chand vill neri	मस्ट्रोल संख्या (3273,463,1121) (812+7632+8904) =17348 x 2/3 =11565	Sand, aggrigate	26318	11565 Already recovered by social audit **=10176** (26318-10176=**4576**)	4576.00
4	c/o plantation wk in land of sant ram vill baleta khurd	मस्ट्रोल संख्या (1350,1435) (7420+12296) =19716 x 2/3 =13144	Plants	29990	13144	16846.00
5	c/o Plantation wk of land of raj kumar vill baleta khurd	मस्ट्रोल संख्या (1354,1434) (2332+5724) =8056 x 2/3 =5870	Plants	11000	5870	5629.33
6	c/o plantation wk in land of shiv nath vill baleta khurd	मस्ट्रोल संख्या (1120,1293) (11872+4664) =16536 x 2/3 =11024	Plants	16920	11024	5896.00
7	c/o Plantation wk in land of Raj kumar vill neri	मस्ट्रोल संख्या (1158) (6996) =6996 x 2/3 =4664	Plants	9990	4664	5326.00
8	c/o Plantation wk in land of Satish kumar vill ganotla	मस्ट्रोल संख्या (1119,1292) (8904+8268) =17172 x 2/3 =11448	Plants	15500	11448	4052.00

9	c/o Plantation wk in land of Prem chand vill khagal	मस्ट्रोल संख्या (1118) (8904) =8904 x 2/3 =5936	Plants	9000	5936	3064.00
Total						**80925.33**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 196/2024 दिनांक 11/07/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में materials (Plants) के रूप में ₹80925.33 की अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की राशि ₹80925.33 के किये गये अधिक भुगतान को सक्षम अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अंकेक्षण अवधि में उक्त मामलों के अतिरिक्त किये ऐसे अन्य भुगतानों की संस्था/विभागीय स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.08 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

Himachal Pradesh public work department under rules 2.1.2.13 Coarse and fine aggregates supplied at site of works shall be paid for in cubic meters and actual volume of the aggregates to be paid for shall be computed after deducting the 12.5 percentage from the volume computed by stack measurements.

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 09/22 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) के खरीद हेतु **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹64800/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹8100/-** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था :-

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 198/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नेरी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि " उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर ₹**8100/-** रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की दी जाएगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	MNREGA	C/O Moksham Dham Khaggal (charad nallah)	0	72	M/S Rajnish enterprises, Jhaniyari, Hamirpur M/S Anil Kumar, Vill Kuswal, Hamirpur	Stone	12800	12.5	**1600.00**
2	MNREGA	C/O pond in Vill Neri	0	71	Anil Kumar , Hamirpur	Stone	10400	12.5	**1300.00**
3	MNREGA	C/O pond in Vill Neri	0	93	Anil Kumar , Hamirpur	Stone	9600	12.5	**1200.00**
4	MNREGA	C/O pond in Vill Neri	0	94	Anil Kumar , Hamirpur	Stone	16000	12.5	**2000.00**
5	MNREGA	C/O pond in Vill Neri	0	92	Anil Kumar , Hamirpur	Stone	16000	12.5	**2000.00**
Total							**64800**	**12.5**	**8100.00**

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों हेतु नियमों के विरुद्ध राशि ₹8100/- के अधिक व गलत भुगतान को आगामी सक्षम अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में किये गये ऐसे अन्य भुगतानों की संस्था/विभागीय स्तर पर

विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.3 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ₹0.04 लाख का रेत के रूप में अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 09/2022 व 06/2023 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **निम्न विवरणानुसार** निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा **रेत** के रूप में **₹4121/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

निर्माण कार्य का नाम :- C/O pacca link road from Vijay Kumar house to Jagdev house Vill Neri :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत
MB-178 05-10	CC 1:4:8	21.94	0.47	10.31
	CC 1:1.5:3	2.54	0.47	1.19
	Paver blocks	84.60	0.027	2.28
	Total			13.78
	बिल के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			17
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**3.22**
	क्रय दर			1280 m3
	अधिक भुगतान (3.22 x 1280)			4121.6
	कुल अधिक भुगतान राशि			**4121/-**

अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 197/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नेरी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में रेत के रूप में ₹4121/- की अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की राशि ₹4121/- के अधिक व गलत भुगतान को सक्षम अधिकारी की जाँच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 राशि ₹12.88 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 09/2022 व 06/2023 में (**सलंग्न परिशिष्ट "छ")** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए विभिन्न बिलों के अन्तर्गत राशि ₹1288418/- का भुगतान किया गया था, जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 201/2024 दिनांक 11/07/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर किया जायेगा"।

अत: सक्षम अधिकारी के मूल्यांकन के बिना कृत भुगतान में किसी गड़बड़ी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा नियमानुसार अंकेक्षण में समर्थित अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.5 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.26 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान चयनित मास 09/2022 व 06/2023 हेतु सलंग्न **(परिशिष्ट "ज")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹226356/**- की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 199/2024 दिनांक 11.07.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹226356/**-की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी"। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योंतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.6 राशि ₹5.06 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टोर सामान के प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित माह 09/2022 व 06/2023 हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि सलंग्न **(परिशिष्ट "झ")** राशि ₹505958/- की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 200/2024 दिनांक 11/07/2024 द्वारा सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 11/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में **₹505958**/- के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

9.6 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनांक 06.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि स्वत: आपतिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत रजिस्टरों / अभिलेखों को बनाया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 185/2024 दिनांक 06.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित है।

प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 02 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रख रखाव न करना	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
10	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184/2024 दिनांक 06.07.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में पत्र संख्या 05 दिनांक 11/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

19 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

4663-4667

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)102/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

Annaxure क पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत - नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	187900.00	92982.00	280882.00	53101.00	227781.00
2	2023-24	227781.00	324958.00	552739.00	115658.00	**437081.00**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3427244.30	7430134.40	10857378.70	7590577.40	3266801.30
2	2023-24	3266801.30	6871824.00	10138625.30	8083767.00	**2054858.30**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3615144.30	7523116.40	11138260.70	7643678.40	3494582.30
2	2023-24	3494582.30	7196782.00	10691364.30	8199425.00	**2491939.30**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

ग्राम पंचायत-नेरी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
अनुदान (प्लानिंग)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1124228.00	2098975.00	3223203.00	2274137.00	949066.00
2	2023-24	949066	2657645.00	3606711.00	3512836.00	**93875.00**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	594000.00	594000.00	594000.00	0.00
2	2023-24	0.00	318000.00	318000.00	318000.00	**0.00**

14वें वित्तायोग(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	842270.30	0.00	842270.30	646500.00	195770.30
2	2023-24	195770.30	0.00	195770.30	170024.00	**25746.30**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1460746.00	1474166.00	2934912.00	812947.00	2121965.00
2	2023-24	2121965.00	584101.00	2706066.00	770829.00	**1935237.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	3262993.40	3262993.40	3262993.40	0.00
2	2023-24	0.00	3312078.00	3312078.00	3312078.00	**0.00**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	748	50	37400	37400	37250	150
2023-24	150	757	50	37850	38000	37400	**600**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 21 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी	प्राप्त राशि	बकाया राशी
1	mukesh kuamr s/o Naresh kumar	27/04/2022	13/05/2022	106461	200	200	0
2	Narender Kumar s/o Hosihar singh	07/06/2022	18/07/2022	106466	200	200	0
3	Jagdish kumar s/o raj kumar	21/06/2022	20/07/2022	106467	50	50	0
4	Rajesh kumar s/o Ramesh chand	07/08/2022	30/07/2022	106468	200	200	0
5	sanjay Kumar s/o Maan chand	18/07/2022	08/08/2022	106469	50	50	0
6	Joginder singh s/o Purn chand	26/09/2022	10/07/2022	106471	200	200	0
7	Dev raj s/o Gain chand	26/09/2022	16/10/2022	106472	200	200	0
8	Ravinder singh s/o sankar singh	15/12/2022	16/12/2022	106475	200	200	0
9	Arun kumar s/o bihari lal	12/08/2022	22/12/2022	106476	200	200	0
10	Kanta Devi w/o randeep singh	26/01/2023	02/04/2023	106477	200	200	0
11	Jagdev singh s/o bhekam shingh	31/01/2023	02/08/2023	106478	200	200	0
12	Asmir muhammand s/o lal deen	12/06/2022	02/08/2023	106479	400	400	0
13	Ankita thakur d/o Meer chand	02/09/2023	17/02/2023	106480	200	200	0
14	sarwan kumar s/o rattan chand	03/09/2023	15/03/2023	106482	200	200	0
15	Rakesh kuamr s/o madan lal	18/03/2023	14/04/2023	106483	25	25	0
16	Deepak sharma S/o Rakesh kumar	03/11/2023	16/05/2023	106484	200	200	0
17	Anand Bhumbla S/o som dutt	05/11/2023	17/05/2023	106485	200	200	0
18	Sanjeev kumar s/o desh raj	05/12/2023	23/05/2023	106486	200	200	0
19	Akhilesh sankhyan s/o madan lal	05/10/2023	06/06/2023	106487	200	200	0
20	Sumit kumar s/o Hans raj	07/01/2023	22/10/2023	106488	400	400	0
21	isha Koundal d/o Surender kumar	18/10/2023	24/11/2023	106489	50	50	0
22	Sumit kumar s/o Bhagi chand	19/11/2023	12/02/2023	106490	200	200	0
23	Gulsan kumar s/o madan lal	28/11/2023	15/12/2023	106491	200	200	0
24	Lakhvinder singh s/o kashmir singh	11/10/2023	19/12/2023	106492	400	400	0
25	Anil kumar s/o sarwan kumar	23/02/2023	28/12/2023	106498	400	400	0
26	Sumit sharma s/o Krishan chand	17/10/2023	28/12/2023	106499	400	400	0
27	Ashok kumar s/o Bhadru ram	15/05/1985	01/06/2024	106500	400	400	0
28	Om dutt s/o sunder ram	19/10/2023	17/01/2024	106496	400	400	0
	Total Amount				**6375**	**6375**	0

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure ख पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

रॉयल्टी की वसूली न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 06/23)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Voucher No	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	MGNREGA	Upgradation Of Mokash Dham vill Khagal	0	231 dt 29/08/2022	Suresh kumar	Agg.	31	1.52	47.12	80	3769.6
				231 dt 29/08/2023	Suresh kumar	sand	16	1.62	25.92	80	2073.6
				72 dt 29/08/2022	Anil Kumar	Stone	16	2.24	35.84	80	2867.2
2	MGNREGA	c/o Roof top rain water harvesting tank ashok kumar s/o girdhari lal vill baleta klan	0	169 dt 03/02/2024	Anil Kumar	Agg.	3	1.52	4.56	80	364.8
3	MGNREGA	Work Name: c/o retaining wall near the house of kartar chand s/o kanshi ram vill neri	0	233 dt 29/08/2022	Suresh kumar	agg.	8	1.52	12.16	80	972.8
			0	233 dt 29/08/2022	Suresh kumar	sand	4	1.62	6.48	80	518.4
4	MGNREGA	c/o Roof top rain water harvesting tank krishan chand s/o bhagat ram vill baleta khurd	0	170 dt 3/2/2023	Anil Kumar	Agg.	3.1	1.52	4.712	80	376.96
5	MGNREGA	C/o Roof Top Rain water tank Vipan Kumar s/o Roshan lal vill khaggal	0	171 dt 3/2/2024	Anil Kumar	Agg.	2.8	1.52	4.256	80	340.48
6	MGNREGA	C/o Roof Top Rain Water harvesting tank Raj Kumar s/o Megh nath vill Khagal	0	145 dt 08/09/2023	Anil Kumar	Agg.	3	1.52	4.56	80	364.8

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

7	MGNREGA	C/o Roof Top rain water harvesting tank Nirmla Devi w/o Bakshi ram vill Khagal	0	147 dt 08/09/2023	Anil Kumar	Agg.	3	1.52	4.56	80	364.8
8	MGNREGA	C/o Roof Top rain water tank Sanjana kumari w/o mangat ram Vill Khagal	0	172 dt 03/02/2024	Anil Kumar	Agg.	2.55	1.52	3.876	80	310.08
10	MGNREGA	C/O Park and Protection wall GPS Neri	0	7 dt 30/07/2022	Rajesh kumar	sand	6	1.62	9.72	80	777.6
11	MGNREGA	C/O Pacca Paver sampark marg main neri to chusma vill neri	0	237 dt 14/09/2022	Suresh kumar	Agg.	7	1.52	10.64	80	851.2
				237 dt 14/09/2022	Suresh kumar	sand	13	1.62	21.06	80	1684.8
				73 dt 20/09/2023	Anil Kumar	Stone	8	2.24	17.92	80	1433.6
12	MGNREGA	c/o sampark marg from pawan kumar house to tilak raj house vill baleta khurd (convergence with 15th	0	244 dt 15/12/2022	Suresh kumar	Agg.	15	1.52	22.8	80	1824
						sand	8	1.62	12.96	80	1036.8
				94 dt 07/01/2023	Anil Kumar	stone	20	2.24	44.8	80	3584
13	MGNREGA	C/o s/marg from sanu ka Ridu to shamshanghat vill neri (Conv. under VKVNY)	0	235 dt 29/08/2022	Suresh kumar	Agg.	39	1.52	59.28	80	4742.4
				235 dt 29/08/2022	Suresh kumar	sand	18	1.62	29.16	80	2332.8
				241 dt 15/12/2022	Suresh kumar	Agg.	43	1.52	65.36	80	5228.8
				241 dt 15/12/2022	Suresh kumar	sand	20	1.62	32.4	80	2592
				93 dt 07/01/2023	Anil Kumar	stone	12	2.24	26.88	80	2150.4

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

14	MGNREGA	C/O Sampark marg from Pacci Sarak to Ranbeer singh vill neri (convergence with 15 th F.c.)	0	101 dt 14/03/2023	Anil Kumar	Stone	23	2.24	51.52	80	4121.6
				249 dt 14/03/2023	Suresh kumar	Agg.	35	1.52	53.2	80	4256
				249 dt 14/03/2023	Suresh kumar	sand	28	1.62	45.36	80	3628.8
15	MGNREGA	C/o Pacca Link road from Vijay kumar house to Jagdev house vill Neri (convergence with 15th	0	245 dt 15/12/2022	Suresh kumar	Agg.	22	1.52	33.44	80	2675.2
				245 dt 15/12/2022	Suresh kumar	sand	17	1.62	27.54	80	2203.2
				92 dt 7/1/2023	Anil Kumar	stone	20	2.24	44.8	80	3584
16	MGNREGA	c/o Pond in village neri	0	71 dt 20/9/2022	Anil Kumar	Stone	13	2.24	29.12	80	2329.6
				236 dt 14/09/2022	Suresh kumar	Agg.	23	1.52	34.96	80	2796.8
						sand	12	1.62	19.44	80	1555.2
				232 dt 29/08/2022	Suresh kumar	Agg.	38	1.52	57.76	80	4620.8
						sand	20	1.62	32.4	80	2592
17	MGNREGA	C/O POND NEAR THE CHUSMA VILL NERI	0	142 dt 22/08/2023	Anil Kumar	Agg.	60	1.52	91.2	80	7296
				142 dt 22/08/2023		sand	30	1.62	48.6	80	3888
18	MGNREGA	C/o Sampark marg from ajay kumar ke ghar se jagdev ke ghar tak vill neri	0	143 dt 08/09/2023	Anil Kumar	Agg.	17	1.52	25.84	80	2067.2
					Anil Kumar	sand	14	1.62	22.68	80	1814.4
19	MGNREGA	C/o Sampark marg from kamlah road to sanjay kumar ke ghar tak vill kamlah	0	146 dt 08/09/2023	Anil Kumar	Agg.	8	1.52	12.16	80	972.8
				146 dt 08/09/2023	Anil Kumar	sand	13	1.62	21.06	80	1684.8

29

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

20	MGNREGA	c/o upgradation of check dam 6 nos near sodh sansthan kander nallah near neri nallah (phase 1)	0	257 dt 14/05/2023	Suresh kumar	Agg.	9	1.52	13.68	80	1094.4
					Suresh kumar	sand	4	1.62	6.48	80	518.4
					Suresh kumar	Agg.	80	1.52	121.6	80	9728
					Suresh kumar	sand	45	1.62	72.9	80	5832
					Suresh kumar	Agg.	12.5	1.52	19	80	1520
					Suresh kumar	sand	3.5	1.62	5.67	80	453.6
21	MGNREGA	c/o upgradation of check dam no 6 sodh santhan kander nallah vill neri (phase 2)	0	217 dt 12/07/2020	Avinish sharma	Agg.	30	1.52	45.6	80	3648
						sand	16	1.62	25.92	80	2073.6
				258 dt 5/4/2023	Suresh kumar	sand	60	1.62	97.2	80	7776
				260 dt 4/5/2023	Suresh kumar	Agg.	42	1.52	63.84	80	5107.2
				259 dt 05/04/2023	Suresh kumar	Agg.	70	1.52	106.4	80	8512
										योग	138911.52
										25% पेनल्टी	34727.88
										कुल योग	173639.4

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'इ' पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01.04.2022 to 31.03.2023	**Suresh kumar,Hamirpur**	sand, aggrigate, boulder	1404001	1404001	28080.02
2	01.04.2023 to 31.03.2024	**Anil kumar,Hamirpur**	sand, aggrigate, boulder	647998	647998	12959.96
Total				**2051999**	**2051999**	**41039.98**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ए' पैरा संख्या 9.1 में सदर्भित

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि	लाभार्थी को अधिक भुगतान
1	C/o Plantation in land of Raksha devi w/o yash pal, vill khagal	मस्ट्रोल संख्या (1356,1437) (4452+8268) =12720 x 2/3 =8480	Plants	27600	8480	19120
2	c/o Plantation in land of Rattan chand vill khagal	मस्ट्रोल संख्या (1355,1436) (2968+5512) =8480x 2/3 =5653	Plants	22070	5653	16416
3	c/o retaining wall near house of kartar chand vill neri	मस्ट्रोल संख्या (3273,463,1121) (812+7632+8904) =17348 x 2/3 =11565	Sand, aggrigate	26318	11565 Already recovered by social audit **=10176**	4576
4	c/o plantation wk in land of sant ram vill baleta khurd	मस्ट्रोल संख्या (1350,1435) (7420+12296) =19716 x 2/3 =13144	Plants	29990	13144	16846
5	c/o Plantation wk of land of raj kumar vill baleta khurd	मस्ट्रोल संख्या (1354,1434) (2332+5724) =8056 x 2/3 =5370	Plants	11000	5370	5629.33
6	c/o plantation wk in land of shiv nath vill baleta khurd	मस्ट्रोल संख्या (1120,1293) (11872+4664) =16536 x 2/3 =11024	Plants	16920	11024	5896

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

7	c/o Plantation wk in land of Raj kumar vill neri	मस्ट्रोल संख्या (1158) (6996) =6996 x 2/3 =4664	Plants	9990	4664	5326
8	c/o Plantation wk in land of Satish kumar vill ganotla	मस्ट्रोल संख्या (1119,1292) (8904+8268) =17172 x 2/3 =11448	Plants	15500	11448	4052
9	c/o Plantation wk in land of Prem chand vill khagal	मस्ट्रोल संख्या (1118) (8904) =8904 x 2/3 =5936	Plants	9000	5936	3064
Total						**80925.33**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure छ पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c\o repair of shamshaan ghat khaggal wd no 1	65	0	mustar roll	labour	48750
2	GIA (Planning)	c/o check dam shodh sansthan vill neri	30,31,32,33	2264,120,0,0	m/s rajnish enterprises, jhaniyari, hamirpur m/s anil kumar, vill kuswal, hamirpur	iron, mixer	240531
3	15FC	c/o sampark marg pacci sadak to ranvir singh	21		hpcsc ltd	cement	24952
4	15FC	c/o sampark marg pawan kumar house to raj kumar house	22		hpcsc ltd	cement	39924
5	MNREGA	c/o Moksham dham khaggal (charad nallah)	0	1830,231,26 53,33,72	m/s rajnish enterprises, jhaniyari, hamirpur m/s anil kumar, vill kuswal, hamirpur	iron, aggrigate,sand,s huttring,stone	161630
6	MNREGA	c/o marg from sanu ka ridu to shamshanghat vill neri	0	235,2652,35	suresh kumar, hamirpur anil kumar , hamirpur,etc	sand, aggrigate, shuttring	73640

34

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

7	MNREGA	c/o pond in vill neri	0	01612,21,23 2,236,2621,3 4,71	suresh kumar, hamirpur anil kumar , hamirpur.etc	sand, aggrigate, shuttring	178934
8	MNREGA	upgradation of check dam 6 nos near sodh sansthan kander nallah near neri P-1	0	1706,1692,2 51,256,257,4 7	suresh kumar, hamirpur	cement ,aggri,sand, etc	223142.00
9	MNREGA	upgradation of check dam 6 nos near sodh sansthan kander nallah near neri P-2	0	1706, 121, 258, 259, 260, 2969, 46	suresh kumar, hamirpur Anil kumar, Hamirpur	cement ,aggri,sand, etc	296915.00
Total							**1288418.00**

Secretary
Gram P... Neri
Dev. ...

35

Annaxure 'ज' पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	mahavir yuamandal khagal zim	34	299 06/23	alrounder dealer vill naya nagar, hamirpur	zim items	49000.00
2	MNREGA	c/o protection wall gps neri	0	2,201	m/s rajneesh enterprise hamirpur	panting items	8166.00
4	MNREGA	c/o pacca paver sampark marg main neri to chusma vill neri	0	227 07/22	janki tiles co. kaswar hamirpur	paver block	68000.00
5	MNREGA	c/o marg from sanu ka ridu to shamshanghat vill neri	0	235,2652,35	suresh kumar, hamirpur anil kumar , hamirpur	sand, aggrigate, shuttring	73640
6	MNREGA	w/c in land of Sanjay kumar vill ganotla	0	757	nilkhand udyog ropa,hamirpur	GI Wire	13775.00
7	MNREGA	w/c in land of Ramji Dass vill ganotla	0	755	nilkhand udyog ropa,hamirpur	GI Wire	13775.00
			Total				**226356.00**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

36

Annaxure झ पैरा संख्या 96 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)
(चयनित माह 09/22 और 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	c/o protection wall gps neri	0	2,201	m/s rajneesh enterprise hamirpur	panting items	97826.00
2	MNREGA	c/o pacca paver sampark marg main neri to chusma vill neri	0	227 07/22	janki tiles co. kaswar hamirpur	paver block	68000.00
3	MNREGA	c/o marg from sanu ka ridu to shamshanghat vill neri	0	235,2652,35	suresh kumar, hamirpur anil kumar , hamirpur	sand, aggrigate, shuttring	73640.00
4	MNREGA	w/c in land of Sanjay kumar vill ganotla	0	757	nilkhand udyog ropa,hamirpur	GI Wire	13775.00
5	MNREGA	w/c in land of Ramji Dass vill ganotla	0	755	nilkhand udyog ropa,hamirpur	GI Wire	13775.00
6	MNREGA	cattle shed sanjeev kumar vill neri	0	739	nilkhand udyog ropa,hamirpur	bricks	15800.00
7	MNREGA	upgradation of check dam 6 nos near sodh sansthan kander nallah near neri	0	1706,1692,251,256,257,47	suresh kumar, hamirpur	cement ,aggri,sand, etc	223142.00
Total							**505958.00**

Secretary
Gram Panchayat Neri
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

15